

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मेंहनगर अंतर्गत मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर का सहयोगी झिनक उर्फ सत्यनारायण यादव मुठभेड़ में घायल /गिरफ्तार; पूर्व में किये है कई जघन्य अपराधा

आज दिनांक 17.03.2023 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह को मुखबीर से सूचना मिली कि मुख्तार गैंग का शूटर अपने सहयोगी के साथ डीहा की तरफ से लाल रंग की मोटर साईकिल पर सवार होकर असलहा सहित लूट की घटना को अन्जाम देने के लिये मेंहनगर की तरफ जा रहा है।

▶ मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर मेंहनगर पुलिस द्वारा हटवा मोड़ के पास बदमाश को घेरने का प्रयास किया गया जिस पर बदमाश द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्यवाही में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर गया तथा मोटरसाइकिल पर पीछे सवार दुसरा बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया।

▶ घायल अभियुक्त की पहचान झिनक उर्फ सत्यनारायण यादव पुत्र स्व० रामसेवक यादव निवासी मिसरौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुयी हैं।

▶ तथा पूछताछ पर पकड़े गये अभियुक्त झिनक ने मोटरसाइकिल पर पीछे सवार बदमाश का नाम चन्द्रजीत यादव उर्फ पत्तर पुत्र तिलकधारी यादव निवासी हटवा आइमा थाना मेंहनगर आजमगढ़ बताया और यह भी बताया कि वह मुख्तार गैंग के शूटर राजन पासी के साथ मिलकर हत्या, लूट, डकैती जैसे घटनाओं को अंजाम दिया है। हम लोग मुख्तार गैंग के लिये काम करते है।

▶ अभियुक्त झिनक व चन्द्रजीत यादव उर्फ पत्तर वीरेन्द्र यादव निवासी इनवल (चकिया), थाना मेंहनगर, आजमगढ़ के निवासी वीरेन्द्र यादव के घर रुककर घटना की योजना बनाकर अंजाम देते है।

▶ घायल अभियुक्त झिनक को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु तत्काल सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया।

▶ दौराने पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त झिनक उर्फ सत्यनारायण यादव पुत्र स्व० रामसेवक यादव निवासी मिसरौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 38 वर्ष को समय 08.38 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु.अ.सं. 105/23 धारा 307/216ए भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़।  
अपराधिक इतिहास (अभियुक्त झिनक यादव)

- 1- एच०एस०-2ए थाना बड़हलगंज।
2. मु०अ०सं०-741 / 19 धारा 395 भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर।
3. मु०अ०सं०-746 / 19 धारा 379 भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर।
4. मु०अ०सं०-442 / 19 धारा 395 भा०द०वि० थाना चांदा, जनपद सुलतानपुर।
5. मु०अ०सं०-263 / 19 धारा 394 भा०द०वि० थाना चांदा, जनपद सुलतानपुर।
6. मु०अ०सं०-474 / 19 धारा 307 / 34 भा०द०वि० थाना चांदा, जनपद सुलतानपुर।
7. मु०अ०सं०-478 / 19 धारा 307 भा०द०वि० थाना चांदा, जनपद सुलतानपुर।
8. मु०अ०सं०-480 / 19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदा, जनपद सुलतानपुर।
9. मु०अ०सं०-157 / 19 धारा 302/504/506 भा०द०वि० व 7 सीएलए एक्ट थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
10. मु०अ०सं०-138 / 19 धारा 394 भा०द०वि० थाना रेवती, जनपद बलिया।
11. मु०अ०सं०-251 / 19 धारा 307 भा०द०वि० व 7 सीएलए एक्ट थाना बैरइया, जनपद बलिया।
12. मु०अ०सं०-252 / 19 धारा 41/411 भा०द०वि० थाना बैरइया, जनपद बलिया।
13. मु०अ०सं०-487 / 07 धारा 307 भा०द०वि० थाना रौनापुर जनपद आजमगढ़।
14. मु०अ०सं०-698/07 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रौनापुर जनपद आजमगढ़।
15. मु०अ०सं०-309/08 धारा 302/201 भा०द०वि० थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।
16. मु०अ०सं०-454 / 08 धारा 302 / 394 / 201 / 411 भा०द०वि० थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।
17. मु०अ०सं०-455 / 08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- झिनक उर्फ सत्यनारायण यादव पुत्र स्व० रामसेवक यादव निवासी मिसरौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी

- 1- एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर तथा तमंचे की नाल में फंसा जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 2- 02 खोखा कारतूस, 01 अदद मिस कारतूस .315 बोर, 01 मो०सा० पैशन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह उ०नि० रामअवध यादव मय हमराह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
- 2- का० जमींदार विश्वकर्मा, थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
- 3- का० कमलेश मौर्या, म०का० तनु सिंह का० उमेश सिंह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।